

Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

FIRST CORY

SRO Unique ID

2025000999R

Receipt Date

07-MAY-2025 14:05

S R Location

JODHPUR-IV

Receipt No

RJ1412451270127

Name Of Seller

GARVIT AGARWAL ADV

Name Of Buyer

MANGLARAM POA HOLDER OF RAMCHANDRA

Type of Document

Others - Search

ACC Reference

NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR

Pa	H	Fo	00
ra	10	ге	.08

I MIM I TOTAL			d d
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	4.0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 600
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	*0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹600	Service Charges	₹10
Grand Total	₹610		
(Rupees Six Hundred Ten Only)			



Statutory Alert: The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

0500.	
WHAT !	
Tiral	
M	

Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID

2025000999R

Receipt Date

07-MAY-2025 14:05

S R Location

JODHPUR-IV

Red

RJ1412451270127

Receipt No Name Of Seller

GARVIT AGARWAL ADV

Name Of Buyer

MANGLARAM POA HOLDER OF RAMCHANDRA

Type of Document

Others - Search

ACC Reference

NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR

Paid Fees
Particulars

Stock Holding Corporation of India 1 mited

Amount (Rs.) Particulars

Registration Fees

₹ 0 ₹ 0

CSI Record Inspection Fees 000 5

Copy of Fees

₹ 0

Late Fees Other Charges

₹ 0

₹10

Amount (Rs.)

Total Amount

₹600 ₹610 Service Charges

Commission Fees

· 10

Grand Total (Rupees Six Hundred Ten Only)

Statutory Alert: The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

GARVIT AGARWAL Advocate Rajasthan High Court Jaipur

Dated: 07.05.2025

SEARCH REPORT

This search report is carried out on the joint request of Shri Manglaram POA Holder of Shri Ramchandra for registration of their project "Shiddi Vinayak Nagar" before Rajasthan Real Estate Regulatory Authority and report is submitted herein under. This search report is for the property, as mentioned below in schedule of property.

Name of the Owner – Shri Ramchandra.

Nature of Property- Plotted Residential Scheme.

<u>Purpose</u> – Registration of Project situated at Khasra No. 765/1, Village-Jhalamand, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 5 Bigha 15 Biswa `or 9307 Sq. Mtr. (Hereinafter referred to as "Project Land") before Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur.

Schedule of Immovable Property-

S. No.	Owner Name	Khasra
1.	Shri Ramchandra.	Khasra No. 765/1, Village-Jhalamand, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 5 Bigha 15 Biswa `or 9307 Sq. Mtr. (Hereinafter referred to as "Project Land")

I, Garvit Agarwal, Advocate have caused necessary searches for the period of 12 years (According to the available record) of which the records kept at the office of the Sub-Registrar, Jodhpur-IV vide Receipt No. RJ1412451270127 dated 07.05.2025 and have inspected all other relevant documents in respect of the aforesaid property.

My Search Report is as follows:

Add: B-23, Yamuna Badi Tonk Road, JAJPUM 302015 (Raj.)

- 1. That initially the land bearing Khasra No. 765/1, Village-Jhalamand, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 5 Bigha 15 Biswa `or 9307 Sq. Mtr. evident from Jamabandi of Samvad 2058-61.
- 2. Thereafter, Shri Ramchandra converted the project land applied for conversion of land bearing Khasra No. 765/1, Village-Jhalamand, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 5 Bigha 15 Biswa `or 9307 Sq. Mtr. from agricultural use to non-agricultural use before Jodhpur Development Authority, Jodhpur. Accordingly, Jodhpur Development Authority, Jodhpur vide Order dated 12.07.2022 bearing no. LU2012/JOD/2022-23/101199 was passed under Section 90-A of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 in favour of Shri Ramchandra.
- Thereafter, mutation in the name of Jodhpur Development Authority, Jodhpur was opened and land bearing Khasra No. 765/1, Village-Jhalamand, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 5 Bigha 15 Biswa `or 9307 Sq. Mtr. evident from Mutation Letter.
- 4. However, Jodhpur Development Authority, Jodhpur mistakenly mentioned the scheme under Chief Minister Jan Aawas Yojna instead of Residential Scheme. Accordingly, Jodhpur Development Authority, Jodhpur vide Amended Order dated 12.08.2024 bearing no. LU2012/JOD/2022-23/101199 rectified the said mistake.
- 5. Thereafter, Jodhpur Development Authority, Jodhpur vide Letter dated 24.03.2022 bearing no. एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2024/02196 approved the map for the said project for Khasra No. 765/1, Village-Jhalamand, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 5 Bigha 15 Biswa `or 9307 Sq. Mtr.



GARVIT AGARWAL Advocate Rajasthan High Court Jaipur

6. Thereafter, Shri Ramchandra executed a registered Power of Attorney dated

02.12.2022 in favour of Shri Manglaram giving selling, administrative and other

related rights regarding the said project land and the said Power of Attorney

dated 02.12.2022 was registered in the office of Sub Registrar, Jodhpur-IV on

02.12.2022 at Book No. 4, Volume No. 8. Page No. 175 at Sr. No.

202203054400699 and its copy is pasted at Additional Book No. 4, Volume No.

16, Page No. 839 to 853.

That the Rajasthan Real Estate Regulatory Authority vide its Order dated 16.03.2022 bearing no. F.1(31)RJ/RERA/2019/593 clarified that for the purpose of registration of a plotted development project where the promoter is not the owner of the land, the authority in lieu of the registered development agreement, accept a power of attorney in favour of the promoter. If and only such power of attorney is registered under the provisions of Indian Registration Act, 1908. This decision was applicable from 1st April, 2022.

ULC Applicability:

Urban Land Ceiling act is **Not Applicable** in state of Rajasthan and hence no clearance under ULC is required to be obtained.

| hereby certify that the said property is free from all sorts of encumbrances, loanable and mortgagable on the basis of available property records.

The receipt for the relevant searches is enclosed herewith.

Jaipur

Date: 07.05.2025

Add: B-23, Yamuna Badi Tonk Road, JAIPUR 302015 (Raj.)

Garvit Agarwal

Advocate

3

229/2

245

2-15

बारामां I

य सुन् ।

2.15

57:

देशका रंगरा का है रंगर्थ है कहा है कहा है कहा है



3,50





राजस्थान सरकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन पूर्व)



क्रमांक : LU2012/JOD/2022-23/101199

दिनांक - 12/07/2022

विषय :-

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

🗕: आदेश :–

गामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :--

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कबूराम, जाति सरगरा, निवासी ग्राम झालामण्ड, जोधपुर।(आवेदक/खातेदार)

(1) ऊपर नाभित आवेदक ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन निम्नलिखित भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:—

क्र.सं.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	क्षेत्रफल		
1.	राजस्य ग्राम झालामण्ड, तहसील व जिला जोघपुर	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कबूराम	संख्या 765 / 1	(हैक्टे.) 5—15 बीघा	
		कुल		0.93074 हैक्टेयर	

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमावंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति वंधपत्र और शपथपत्र, की—मेप, अगिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि भैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों / कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और रथानीय प्राधिकारी की सहमित रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना / विकास योजना / स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिकार की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपवंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए रवीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अव इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भृमि पर आवेदक के अभिघृति अधिकारों को उक्त भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भृमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त रथानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहरताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12/07/2022 को पारित किया

गया।

श्रवणसिं**ह राजावत** प्राधिकृत अ<mark>धिकारी</mark> (जोन पूर्व) प्रोड जुोंचपुर किस्तुस प्रीधिकरण, जोयपुर



राजस्थान सरकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन-2)



क्रमांक : LU2012/JOD/2022-23/101199

दिनांक - 12/08/2024

विषय:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

-: संशोधित आदेश :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कबूराम जाति— सरगरा, निवासी— ग्राम झालामण्ड जिला—जोधपुर। (आवेदक / खातेदार)

- उक्त प्रकरण में पूर्व में प्राधिकरण कार्यालय के आदेश क्रमांक LU2012/JOD/2022-23/101199 दिनांक (1) 12 / 07 / 2022 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ 90-क आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश के कम में खातेदार द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी के स्थान पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ 90-क आदेश जारी करने की मांग की गई।
- अतः प्रश्नगत भूमि के पूर्व में दिनांक 12/07/2022 को पारित 90-क निर्णय के कम में यह संशोधित (2) आदेश पारित कर आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्व में जारी किये गये मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी के स्थान पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ लिखा व पढा व समझा जावे तथा इसी अनुसार भूमि का संशोधित नामान्तरकरण प्राधिकरण के नाम दर्ज कर नवीनतम राजस्व जमाबंदी की प्रति इस कार्यालय में भिजवायें।

यह संशोधित आदेश इस कार्यालय की राजकाज पत्रावली संख्या 02196 में प्राप्त टिप्पणीयों व रिर्पोटों के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12/08/2024 को पारित किया

उपायुक्त (जोन संख्या-2) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

दिनांक - 12/08/2024

क्रमांक : LU2012/JOD/2022-23/101199

प्रतिलिपी :--

1. तहसीलदार (कुड़ी भगतासनी), जोधपुर को भेजकर लेख है कि इस आदेश की पालना कर संशोधित नामान्तरकरण की प्रति प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित करावें।

> प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त (जोन संख्या-2) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

		No.		3800	37						. (1	प्रति प्रत	r)								प्रपत्र	सं.पी. 21	Į.
- 1	` .					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				97					•• ===	₋ (
	नामान्त	तरकरण.	राजस्टर	ग्राम	तिसाम	1 42	वार हल्व	ni A	<u>जिस्</u>	<u>1</u>	अ. । परा	नक रूपमा	- 95	रेपाव		d	3/0	गम्या	जिला-	नारम	3	' राजस्थान	
	नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम पटवार हल्का भू. दीखामण पटवार हल्का भू. वर्तमान जमाबन्दी (खतौनी) में शुद्धि किये जाने के लिए प्रस्थापित प्रविष्टि											- प्रतिस्थापित रि		Z	रिनिस्टी- था बन्धक रकम मय	म स		मुस्या प्रमुख					
		संख्या					â	(11)			. 2	7	.8 8	``					सहित रि ख तथा की रक	F 8	はは	म् स्वास्त्र स्व	2 14
	संख्या	नों की सं	~ =	-	किरण	Ir			ट्यों सहित ार का नाम	•	<u>ख्या</u>		ाशिष्टियों सा १शतकार का न) *		करण	h	मिन्ना प्रमित्त वध्या तार्र विक्रमा वार्	नामान्ता	प्रत् की	में आये	41.5
	प्रविध्टिकी क्रम संख्या	जमाबन्दी में खेतों की	संख्या	_	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान					नयी जोत की संख्या	- 4			संख्या		मृदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विक्रय की दशा में कीमत करण का स्वरूप तथा ता की दशा में बन्धक क्रा	A STATE OF THE STA	स्याद्यात स्त्रांग नि	या, मुक् मांब्रिया निट्या	भतोखा नि
		जमाब-	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (क	राजस्व			, , ,		नयी जे	ar .	٠.		बसरा संख्या	क्षेत्रफल		राजस्व	विक्रय व करण ब की दश	रिनस्र नारीख	तम्ब्र जिस्त प	टिप्पार्की जांच से और ग्रा	मू—आ
	. 1	2	3	4	5	6	-771	17 ().	7	(TT-)	8	100	9	1	10	11	12	13	14	81	Cen	16	
		638	765	545	वा.प	_			कबूर		. 2	312	30 /	r's let	765	5-15	MAIN!	-	401	नहर्ष	HITE	जिस्रापट	-3
2	294		01	5-15			सरगर	य सा	-25	खाल	11 -	A PA	रण्डा	SIA C	7				21/3-15	CI HIL	7	71.11.61	/2010
D	299		-	· 13											01	5-15	-		011)04	الماريخ	3	1969/	1014
							,			•11	-	चिक्र	पा संह	1971		1. 1. 1 1	- ,		109 7	नोबु	18	7/2021	- eq
			-		÷							い.・ン		46	2	- T	4 3	d	जीन्धप	(3	34/	9914 2 6) 2-	प्रमुखर प्रमुखर
	N N	:				de			E 81		7			92.09	1208	केलाव			LU20	12/5	100/	1022-23/	10-11-9
		•			£.,	· •/			,			,	निर्ध	92.09 1844 (H.	जला जो	ग्रमुर		-	डिनोंकु	12/	7/>0	223	प सन
			,				•									. *			打。	1151	-5-	-95	9/6
	4					,	×	٠,		,		St.	1	dise	a	2	/	1	DU PIE	9	निव	उंद	सार्
						,						r (r	& _		1.0 TE	areas (गुहापुर)		2)90		5/	3	1
	,		1					••				<u>.</u>		0	1 4	Meller	-	-				पटवारी ह	<u>भाला</u> म्
								•							1835)		* 1			*			,
													••						· •			•	

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानांडा, जोघपुर — 342001

email- jdajodhpur-rj@gov.in_वेद-साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2024/

राजकाज सं. 02196

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कबूराम निवासी : 264, मेघवालों का बास, झालामण्ड, जोघपुर।

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 765/1 रकबा 9307.76 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 765/1 रकबा 9307.76 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 31/2024 वीं बैठक दिनांक 10.10.2024 में प्रस्तुत किया गया है। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट www. joda.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।



(अनुज अग्रवाल) उप नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर



RajKaj Ref No.: 11239650





–:: आम मुख्त्यारनामा ::–

यह आम मुख्त्यारनामा आज बमुकाम जोधपुर में लिख देता हूँ मैं रामचन्द्र पुत्र श्री कबूराम, उम्र–71 वर्ष, जाति–सरगरा, निवासी–मेघवालों का बास, ग्राम–झालामण्ड, तहसील–कुडी भगतासनी व जिला–जोधपुर, राज्य–राजस्थान में रहने वाला, (जिन्हें आगे इस आम मुख्त्यारनामा में प्रथम पक्षकार यानि अधिकारदाता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) नें,

(आधार संख्या— 1040) (स्थाई खाता संख्या—ABLFS3465R)

ब ह क

आप श्री मंगलाराम पुत्र श्री मानाराम, उम्र—48 वर्ष, जाति—माली, निवासी—उचियार्डा, भोपों का निम्बडिया, तहसील—बिलाडा, जिला—जोधपुर, राज्य—राजस्थान में रहने वाले, (जिन्हें आगे इस आम मुख्त्यारनामा में द्वितीय पक्षकार यानि अधिकारग्रहिता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, के हक में तहरीर व तकमील कर देता हूँ कि:—


(आधार संख्या————9127)



गठालाराम

(LTZ X14 4 75)

मगा भाराम



Manual and Salar S









संक्षित विवरण :-

यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार रामचन्द्र की खातेदारी सुदा, कब्जा सुदा, तरमीम सुदा व मालिकाना हक एवं अधिकार की भूमि खसरा संख्या—765/01 रकबा 05 (पांच) बीघा 15 (पन्द्रह) बिस्वा, वाके ग्राम—झालामण्ड, तहसील—कुडी भगतासनी व जिला—जोधपुर में स्थित है।

यह है कि पूर्व में उक्त भूमि खसरा संख्या-765/01 रकबा 05 (पांच) बीधा 15 (पन्द्रह) बिस्वा, की खातेदारी मुझ प्रथम पक्षकार के नाम से राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में अमल दरामद सुदा हैं, जिसकी खेवट खतौनी संख्या नया 638 व पुराना 564 तथा विक्रम संवंत 2058 से 2061 में बहैसियत खातेदारी दर्ज सुदा है।



मेगानामा



(८७७ राम यन्द्र)

मंगाभाराम



-: आम मुख्त्यारनामा का पृष्ठ संख्या-04 :-


नोट:- उक्त भूमि मौके पर खाली हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है।

यह है कि उपरोक्त नाप वाली भूमि खसरा संख्या-765/01 रकबा 05 (पांच) बीघा 15 (पन्द्रह) बिस्वा, के सम्बन्ध में तमाम अधिकार मुझ प्रथम पक्षकार के पक्ष में सुरक्षित है। चुंकि मैं प्रथम पक्षकार अपने निजी कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ तथा हर समय उक्त भूमि की देखभाल करने में असमर्थ हूँ, इसलिये उक्त भूमि से सम्बन्धित तमाम कार्यवाहियां करने हेतु समय नहीं मिलता है, इसलिये उक्त भूमि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कार्यवाही करने में अपने आपको असक्षम महसूस करता हूँ, इसलिये इस आम मुख्द्यारनामें के जरिये आप द्वितीय पक्षकार जो मेरे विश्वास पात्र हैं, को अपना आम मुख्द्यार नियुक्त कर उक्त भूमि के बाबत निम्न अधिकार प्रदान करता हूँ किं:-


1. यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकूर यानि आप द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि के बाबत संबंधित विभागों में आवश्यक प्रार्थना पत्र, शपत्र पत्र, बोण्ड इत्यादि अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत कर सकेंगे, आवश्यक शुल्क जमा करवा सकेंगे, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से पट्टा विलेख सम्बन्धित सम्पुर्ण कार्यवाही अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर सकेगें, भूखण्डों में विभक्त करके भूखण्डों का पट्टा किसी भी व्यक्ति के हक में टाउनशिप पोलिसी के अन्तर्गत नामिनी, शपथ पत्र, आम सूचना, इकरारनामा व भूखण्डों का बंटवाडा के दस्तावेज जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रस्तुत कर सकेगें यानि जोधपुर विकास पाधिकरण, जोघपुर में कही पर भी मुझ प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान की आवश्यकता होगी तो आप द्वितीय पक्षकार अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर सकेंगे। उक्त भूमि को भूखण्डों में विभक्त करके उसका पट्टा प्राप्त होने के पश्चात् पट्टे का पंजीकरण करवा सकेंगे, पट्टा पंजीयन होने के बाद उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी व्यक्ति के हक में भूखण्डों का बेचाननामा निष्पादित करवा सकेगें, बेचान अनुमति प्राप्त कर सकेगें व नामान्तरकरण करवा सकेंगे।

2. यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकूर यानि आप द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि के बाबत् जिस किसी व्यक्ति को चाहे बेचान कर सकेंगे, बेचान रसीदनामा बनवा सकेंगे, इकरारनामा कर सकेगें, बेचान की रकम रोकड़ या चैंक के जरिये प्राप्त कर सकेंगे, बेचाननामा अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर सकेंगे, बेचाननामा वास्ते पंजीयन विभाग में प्रस्तुत करवा

मगा भागाराम



मांबक (ह




ः आम मुख्त्यारनामा का पृष्ठ संख्या-05 :सकेंगे, पंजीयन शुल्क जमा करवा सकेंगे तथा बाद होने पंजीयन उक्त
पंजीयन सुदा दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से वापिस प्राप्त कर सकेंगे व
असल दस्तावेजात् सुपुर्द कर सकेगें।

- 3. यह है कि मेरे आम मुख्यार मजकूर यानि आप द्वितीय पक्षकार् उक्त भूमि के बाबत तमाम सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी विभाग, कार्यालय संस्था जैसे जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, बैंक, जलदाय विभाग, विघुत विभाग, तहसील, कलेक्ट्रेट इत्यादि समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाहियां अपने हस्ताक्षरों से स्वंय उपस्थित होकर करा सकेंगे।
- 4. यह है कि मेरे आम मुख्यार मजकूर यानि आप द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि के बाबत् आवश्यकता पड़ने पर अधिनस्थ न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक आवश्यक कार्यवाहियां करा सकेंगे, जिसके लिए दावा, अपील, रिट, निगरानी, इस्तगासा, इत्यादि प्रस्तुत कर सकेंगे, वकील की नियुक्ती कर सकेंगे।
- 5. यह है कि आप द्वितीय पक्षकार मेरे आम मुख्त्यार मजकूर की हैसियत से उक्त भूमि पर बिजली-पानी का कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन आदि प्राप्त करने की तमाम प्रकार की कार्यवाहियां कर सकेंगे।
- 6. यह है कि मेरे आम मुख्यार मजकूर यानि आप द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि के बाबत वे सभी अधिकार हासिल होगें जो मुझ प्रथम पक्षकार को हासिल है चाहे उसका स्पष्ट खुलासा इस आम मुख्त्यारनामा में न भी किया गया हो तथा आम मुख्त्यार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, हस्ताक्षर व उपस्थिति मेरी प्रथम पक्षकार की स्वयं की मानी जावेगी तथा जिससे मैं प्रथम पक्षकार पुर्ण रूप से पाबन्द रहूंगा।
- 7. यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार की ओर से आप द्वितीय पक्षकार वह सभी कार्य उपरोक्त भूमि के संबंध में कर सकेंगे, जिन्हें करने का मुझ प्रथम पक्षकार को अधिकार हासिल है। आप द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि के संबंध में समस्त कार्यवाही कर सकेंगे, आप द्वितीय पक्षकार की उपस्थिति, हस्ताक्षर मुझ प्रथम पक्षकार के द्वारा मानी जायेगी, जिनसे मैं प्रथम पक्षकार सदैव पाबन्द रहूंगा, जिसे मैं प्रथम पक्षकार कभी भी चैलेन्ज नहीं करूंगा तथा आप द्वितीय पक्षकार द्वारा की गई तमाम कार्यवाहियां मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा की गई एवं मानी जायेगी एवं जिससे मैं प्रथम पक्षकार पूर्णतया पाबन्द रहूंगा।







ने लेड्यपत्र (ii)Any other Person को पड़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया । पतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया |

उक्त निष्पादन कर्तों की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की हैं , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।


अनु क. गवाहों का नाम व पता

1 Name: धी/बीमती/सुधी VISHNU PRAJAPAT, पुत्र/पुत्री/पित धी OM PRAKASH JI जाति PRAJAPAT

Add: House No.:02, Colony: DUND KI DHANI, Area: JHALAMAND CIRCLE, City: JODHPUR, Pin code: 342005, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

2 Name: थी/धीमती/सुश्री LADU RAM, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAM CHANDRA जाति MEGHWAL

Age: 40 Add: House No.:0, Colony: JHALAMAND, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN



202201054026533

(ii)Any other Person

उप पंजीयक



ः आम मुख्यारनामा का पुरु संख्या १६

8. यह है कि मेरे आम मुख्यार यात्रि आप द्विताय प्रतकार की उन्हों की का भौके पर कब्जा सुपूर्व नहीं किया है न ही आप हितीय प्रश्नकार है कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त की है तथा अवस आम मुख्यारनामा है प्रथम पक्षकार कभी भी निरस्त कर सकता हूँ।

9. यह है कि उक्त आम मुख्यारनामा में मुझ प्रथम प्रश्नकार द्वारा आप द्वितीय पक्षकार को केवल उक्त भूमि के बेचान का अधिकार दिया गया हैं, अन्य किसी प्रकार की जायदाद का अधिकार नहीं दिया गया है।

10. यह है कि उक्त भूमि के बाबत इस आम मुख्यारनाम में यदि कोई अधिकार अंकित करने से रह गया हैं तो वह भी अधिकार आप द्वितीय पक्षकार को इस आम मुख्यारनामें की रूह से इस मूमि के बाबत प्राप्त होगा।

लिहाजा यह आम मुख्यारनामा मुझ प्रथम पक्षकार ने अपनी स्वेच्छा से. बिना किसी दबाव के, बिना किसी नशे पते के, अपने सही होश हवास व तन्दुरूस्ती की हालत में, पूर्ण पारिवारिक सहमति से लिखा हुआ पद/सुनकर निम्न साक्षियों के समक्ष अपने इस्ताक्षर कर आप द्वितीय पक्षकार के हक में तहरीर व तकमील कर दिया है जो कि सही है सनद रहे वक्त जरूरत पड़ने पर काम भी आवें।

इति दिनांक -02.12.2022



LIINHAND)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साख – 01 साख एक लिख देता हूँ मैं .जाति...<u>२</u>न्*र* ग्र जा हा हर JAM HOLL में रहने वाले की है।

साख एक लिख देता हूँ मैं जिन्नों द पुत्र श्री अस्तिम् जारी वालाक जात्र वाला भाषा-03 महावीर सिंह ४० बेलार १५ हिन्दू (किन है)

णानि-चारण जिलामी विलाडी

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मिलियत रू 7063875 मानते हुए इस रेस कमी मनंक मिले र 36320 पत्र कमी एंजीयन शतक र 10000. सरचार्ज राशि 10596 कुल रू 55916 रक्ष

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू /0000/ रू 55916 रसीट वेय कमी मुदांक राशि ह 35320 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 10000, सरचार्ज राशि 10596 कुल रू विकास राशि है। संख्या 202202054026666 दिनांक 02-12-2022 में जमा किये गये हैं। अतः दस्तावेज को रू 35320 के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

202201054026533

(ii)Any other Person

Registration Endorsement

आज दिनांक 02/12/2022 को पुष्ट संख्या 175 क्रम संख्या 202203054400699 पर पंजीबद्घ किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 16 के पृष्ठ संख्या 839 से 853 पर चस्पा किया गया ।

202201054026533

(ii)Any other Person

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

जाधपुर

